उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–2
संख्या–1474 / दो–2–2018–19 / 2(11) / 2014टीसी
लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–154 / यू0पी0 / 2018–पी–एडमिन, दिनांक 17.04.2018 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निर्गत पत्र संख्या–692 / सी0ई0ओ0–1–34 / 1–2011, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के क्रम में डा0 अलका वर्मा, संयुक्त निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, लखनऊ को तात्कालिक प्रभाव से संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पद पर स्थानान्तरित करते हुए एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2– डा0 अलका वर्मा प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर दिनांक 24.04.2018 तक नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगीं तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगीं। यदि निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को निर्धारित समय मे कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरूद्व विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

धनंजय शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति / निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या–154 / यू0पी0 / 2018–पी–एडमिन, दिनांक 17.04.2018 के क्रम में।
3– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–692 / सी0ई0ओ0–1–34 / 1–2011, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के क्रम में।
4– निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
6– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
7– निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
8– अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
9– नियुक्ति अनुभाग–7
10–संबंधित अधिकारी।
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।